(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1617–तीन/03 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–7–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 675/2001–02/अपील.

नन्दा पिता मांगू भील
निवासी ग्राम धाकड़ी
हाल मुकाम मनडकोशा
तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– मांगु पिता भेराजी भील
2– नेपाल पिता मांगु
निवासीगण ग्राम धाकड़ी
हाल मुकाम लिम्बावास
तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर
3– गणेशराम पिता कचरू पाटीदार
निवासी बालागुढ़ा
तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर .....अनावेदकगण

ए0आर0 यादव, अभिभाषक, आवेदक
श्री कैलाश जोशी, अभिभाषक अनावेदक क. 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा कलेक्टर, मन्दसौर के समक्ष संहिता की धारा 165 (6) के अंतर्गत उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम धाकड़ी तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर स्थित सर्वे कमांक 95 रकबा 0.48 एवं सर्वे कमांक 55/3 रकबा 0.97 आरे के विकय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–21/2001–02 दर्ज कर दिनांक 29–5–2002 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति प्रदान की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–7–2003 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जिस पर उसका भी स्वत्व निहित है, ऐसी स्थिति में केवल अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विकय नहीं किया जा सकता है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति देने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बंध में व्यवहार वाद प्रचलित है, इस कारण भी कलेक्टर द्वारा विकय की अनुमति देने में अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानने में त्रुटि की गई है, क्योंकि मात्र 44 दिन का विलम्ब था, क्योंकि आवेदक को कलेक्टर की आदेश की सूचना नहीं दी गई थी

4/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा केवल इस आधार पर अपील अग्राह्य की गई है कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, और अपील समय बाह्य प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदक द्वारा अनावेदक का पुत्र होकर उसके द्वारा प्रथम दृष्टया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों को आधार बनाकर अपील प्रस्तुत की गई है, जिस पर विचार किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से आवश्यक था । इस स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई

विचार नहीं किया गया । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उनके समक्ष प्रचलित अपील समय–सीमा में मान्य करते हुए प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–2003 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अपर आयुक्त को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु भेजा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर